संख्या-30 /2019-1288/58-2019-182/2016

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 01 जुलाई, 2019

विषय :- प्रदेश में वर्ष 2019-20 में कराये जा रहे समस्त वृक्षारोपण हेतु उद्यान विभाग द्वारा नि:शुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पर्यावरणीय लाभ एवं कृषकों की आय में सतत वृद्वि के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 में 22.00 करोड़ पौधरोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/मा0 न्यायालय परिसरों/कृषकों/संस्थाओं/व्यक्तियों/निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं/भारत सरकार के विभाग एवं उपक्रम/स्थानीय निकायों यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण आदि/रेलवे/रक्षा/औद्योगिक ईकाइयॉ/सहकारी समितियॉ एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उद्यान विभाग की पौधशालाओं से नि:शुल्क पौध उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त उद्यान विभाग की पौधशालाओं से नि:शुल्क दिये जाने वाले पौधों का विवरण/लेखा-जोखा एक अलग पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाय तथा रोपित किये जाने वाले पौधों की पर्याप्त देख-रेख नियमों/मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-30/2019-1288(1)/58-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
वित्त विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/नियोजन/राजस्व/आवास/कृषि/औद्योगिक विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई/खनन एवं भू-तत्व/रेशम विभाग/ पशुपालन/सूचना एवं जनसम्पर्क/सहकारिता /उद्योग/विद्युत/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/श्रम/परिवहन/पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग/स्वास्थय एवं चिकित्सा शिक्षा/रेल/रक्षा/गृह विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in